

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2021—चैत्र 19, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एम. मंगलक्ष्मी ध. प. श्री एम. राजू, उम्र 54 वर्ष, निवासी-स्ट्रीट नंबर क्रास स्ट्रीट-4, क्वा. नं.-17/ए., सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम एम. मंगलक्ष्मी है, किन्तु मेरे पुत्र के आठवीं की अंकसूची में मेरा नाम एम. महालक्ष्मी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे एम. मंगलक्ष्मी ध. प. श्री एम. राजू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

एम. महालक्ष्मी
पति-श्री एम. राजू
निवासी-स्ट्रीट नंबर क्रास स्ट्रीट-4,
क्वा. नं.-17/ए.,
सेक्टर-5, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

एम. मंगलक्ष्मी
पति-श्री एम. राजू
निवासी-स्ट्रीट नंबर क्रास स्ट्रीट-4,
क्वा. नं.-17/ए.,
सेक्टर-5, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रुति देव गवास्कर ध. प. श्री देवचरण गवास्कर, उम्र 31 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-अमेरी, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम देवकुमारी मिरी आत्मजा श्री भंजन दास मिरी था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मेरा विवाह श्री देवचरण गवास्कर के साथ संपन्न हुआ। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रुति देव गवास्कर रख ली हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे स्नातकोत्तर के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रुति देव गवास्कर ध. प. श्री देवचरण गवास्कर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
देवकुमारी मिरी पिता-श्री भंजन दास मिरी निवासी-अमेरी, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	श्रुति देव गवास्कर पति-श्री देवचरण गवास्कर निवासी-अमेरी, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एम. कामेश आत्मज श्री एम. अपना, उम्र 45 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-06/सी. सड़क-51, बालाजी नगर, सेक्टर-11, जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम एम. कामेश है जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है। किन्तु उसके दाखिला पंजी व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम एम. कामेश्वर राव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को एम. गौतम आत्मज एम. कामेश के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
एम. गौतम पिता-श्री एम. कामेश्वर राव निवासी-क्वा. नं.-06/सी. सड़क-51, बालाजी नगर, सेक्टर-11, जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	एम. गौतम पिता-श्री एम. कामेश निवासी-क्वा. नं.-06/सी. सड़क-51, बालाजी नगर, सेक्टर-11, जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद सैफ सिद्दीकी आत्मज स्व. मोहम्मद सईद सिद्दीकी, उम्र 38 वर्ष, निवासी-2/41, इस्पात नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार सिद्दीकी था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद सैफ सिद्दीकी रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे मोहम्मद सैफ सिद्दीकी (Mohammed Saif Siddiqui) आत्मज स्व. मोहम्मद सईद सिद्दीकी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मोहम्मद मुख्तार सिद्दीकी
पिता-स्व. मोहम्मद सईद सिद्दीकी
निवासी-2/41, इस्पात नगर,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मोहम्मद सैफ सिद्दीकी
(Mohammed Saif Siddiqui)
पिता-स्व. मोहम्मद सईद सिद्दीकी
निवासी-2/41, इस्पात नगर,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मीनाक्षी चरण आत्मजा श्री किरण कुमार चरण, उम्र 34 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-119/बी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मीनाक्षी प्रकाश ध. प. निशांत प्रकाश दर्ज है। चूंकि मेरा विवाह विच्छेद हो चुका है पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम मीनाक्षी चरण रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे मीनाक्षी चरण आत्मजा श्री किरण कुमार चरण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मीनाक्षी प्रकाश
पति-श्री निशांत प्रकाश
निवासी-क्वा. नं.-119/बी,
रूआबांधा सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मीनाक्षी चरण
पिता-श्री किरण कुमार चरण
निवासी-क्वा. नं.-119/बी,
रूआबांधा सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश मानिकपुरी आत्मज श्री एफ. डी. मानिकपुरी, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-15/डी, ई पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम नमशित नंदन मानिकपुरी (Namshit Nandan Manikpuri) दर्ज है। मेरे पुत्र का वास्तविक नाम नमशित मानिकपुरी (Namshit Manikpuri) है जो कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। तथा जिसे मैं अपने सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को नमशित मानिकपुरी (Namshit Manikpuri) आत्मज दिनेश मानिकपुरी (Dinesh Manikpuri) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
नमशित नंदन मानिकपुरी (Namshit Nandan Manikpuri) पिता-श्री दिनेश मानिकपुरी (S/o- Shri Dinesh Manikpuri) निवासी-क्वा. नं.-15/डी, ई पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	नमशित मानिकपुरी (Namshit Manikpuri) पिता-श्री दिनेश मानिकपुरी (S/o- Shri Dinesh Manikpuri) निवासी-क्वा. नं.-15/डी, ई पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निशि जंघेल ध. प. स्व. रामकुमार, उम्र 42 वर्ष, निवासी-मकान नं.-117, शिक्षक नगर, कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम निशि जंघेल है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड व मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है। मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे, उनका देहान्त दिनांक 10-01-2021 को हो गया, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम निशि दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती निशि जंघेल ध. प. स्व. रामकुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
निशि पति- स्व. रामकुमार निवासी-मकान नं.-117, शिक्षक नगर, कोहका, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती निशि जंघेल पति- स्व. रामकुमार निवासी-मकान नं.-117, शिक्षक नगर, कोहका, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संदीप गुप्ता आत्मज श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता, उम्र 18 वर्ष, निवासी-विवेकानंद कालोनी, वार्ड क्र.-25, केम्प 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा व मेरे पिता का उपनाम “साहू” दर्ज है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता है जो कि उनके पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड में दर्ज है। मैं मेरे नाम के साथ उपनाम साहू का परित्याग कर, “गुप्ता” उपनाम जोड़कर नया नाम संदीप गुप्ता आ. श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे संदीप गुप्ता आत्मज श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

संदीप साहू
पिता-श्री चन्द्रिका प्रसाद साहू
निवासी- विवेकानंद कालोनी,
वार्ड क्र.-25, केम्प 2, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

संदीप गुप्ता
पिता-श्री चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता
निवासी- विवेकानंद कालोनी,
वार्ड क्र.-25, केम्प 2, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लोकेश कुमार धुरंधर आत्मज स्व. रामनारायण धुरंधर, उम्र 56 वर्ष, निवासी-मकान नं.-675, वार्ड नं. 21, सिंधिया नगर, तितुरडीह, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम लोकेश कुमार था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सर्विस रिकार्ड में दर्ज है। मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “धुरंधर” जोड़कर नया नाम लोकेश कुमार धुरंधर रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे लोकेश कुमार धुरंधर आत्मज स्व. रामनारायण धुरंधर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

लोकेश कुमार
पिता-स्व. रामनारायण धुरंधर
निवासी-मकान नं.-675,
वार्ड नं. 21, सिंधिया नगर,
तितुरडीह, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

लोकेश कुमार धुरंधर
पिता-स्व. रामनारायण धुरंधर
निवासी-मकान नं.-675,
वार्ड नं. 21, सिंधिया नगर,
तितुरडीह, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2021

प्रकरण क्रमांक 202102111000316/ब/113 (1) वर्ष 2020-21

क्रमांक/78/अ. वि. अ./पं. सा. न्या./2020.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संदीप काले एवं 11 अन्य, पता म. नं. 238, जैन मंदिर गली, सिवनी बाड़ा, बुढ़ापारा, रायपुर द्वारा “मराठी ब्राम्हण संगठना ट्रस्ट छत्तीसगढ़” पता 836-जी, कारीगर चौक, सुन्दर नगर, रायपुर (छ. ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|--|
| 1. | पब्लिक ट्रस्ट का नाम
व पता | :- | “मराठी ब्राम्हण संगठना ट्रस्ट छत्तीसगढ़”
पता-836-जी, कारीगर चौक, सुन्दर नगर, रायपुर (छ. ग.) |
| 2. | चल संपत्ति | :- | राशि रुपये-11,000/- (अक्षरी-ग्यारह हजार रुपये मात्र) |
| 3. | अचल संपत्ति | :- | निरंक |

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 19-04-2021 को उपस्थित होंगे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईशतहार आज दिनांक 03-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

प्रणव सिंह
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)
कलेक्ट्रेट के सामने पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/486.—वस्तुतः छ. ग. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. झलका पं. क्र. 229 दिनांक 13-12-2005 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/1306 दिनांक 04-08-2009 के द्वारा

परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड बिल्हा को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव: मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत छ. ग. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. झलका पं. क्र. 229 दिनांक 13-12-2005 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/487.—वस्तुतः एकता मछुवा सहकारी समिति मर्या. पेण्डरवा पं. क्र. 225 दिनांक 09-08-2005 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/142 दिनांक 21-01-2010 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड बिल्हा को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव: मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत एकता मछुवा सहकारी समिति मर्या. पेण्डरवा पं. क्र. 225 दिनांक 09-08-2005 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/488.—वस्तुतः अंबा मछुवा सहकारी समिति मर्या. बिटकुली पं. क्र. 3857 दिनांक 02-05-1997 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2010/129 दिनांक 21-01-2010 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड बिल्हा को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव: मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत अंबा मछुवा सहकारी समिति मर्या. बिटकुली पं. क्र. 3857 दिनांक 02-05-1997 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/489.—वस्तुतः ईट भट्टा सहकारी समिति मर्या. मगरउछला पं. क्र. 3712 दिनांक 01-02-2096 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/767 दिनांक 20-06-2006 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड बिल्हा को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव: मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत ईट भट्टा सहकारी समिति मर्या. मगरउछला पं. क्र. 3712 दिनांक 01-02-2096 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/490.—वस्तुतः गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 99 दिनांक 17-10-2000 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1948 दिनांक 23-10-2018 के द्वारा सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एम. आर. ध्रुव अंकेक्षक अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव: मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 99 दिनांक 17-10-2000 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/491.—वस्तुतः खनिज सहकारी समिति मर्या. मुढ़ीपार पं. क्र. 3807 दिनांक 03-10-96 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/1019 दिनांक 03-08-2007 के द्वारा छ. ग. परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड बिल्हा को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव: मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) तहत खनिज सहकारी समिति मर्या. मुढ़ीपार पं. क्र. 3807 दिनांक 03-10-96 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जीवित/2021/517.—वस्तुतः जय भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चोरहा देवरी पं. क्र. 204 दिनांक 21-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा जिला -बिलासपुर (छ. ग.) को पुनर्जीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री नितिन घोरे सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा दिनांक 24-02-2021 को समिति की आमसभा में संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करने का निर्णय लिया गया है एवं वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण कराया जा चुका है. अतः सदस्यों के हित में परिसमापक श्री नितिन घोरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ.

अतः छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत जय भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चोरहा देवरी पं. क्र. 204 दिनांक 21-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा जिला - बिलासपुर को इस शर्त पर “संस्था के निर्वाचन हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 03 माह के भीतर मतदाता सूची तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से छ. ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर को प्रेषित करने तथा नियमित अंकेक्षण कराने” पुनर्जीवित करती हूँ एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तत्कालीन संचालक मण्डल को अधिकृत करती हूँ.

मंजू महेन्द्र पाण्डेय
उप पंजीयक.